FORM III
फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

बनाम तहसीलदार नीमकाथाना

मु0नं0 315 सन् 2024 जीसीएमएस नं.

प्रार्थना पत्र 128 भू.रा.अधि.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
... पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से श्री राजेन्द्र ... एडवोकेट उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 128 भू. रा. अधि. दर्ज ... किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के ... किया जावे। पत्रावली दिनांक 27.06.2024 को पेश हो। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)	
पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की तामील सम्यक रूप से होना पायी जाती है बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2075–2078 राजस्व ग्राम नाथा की नांगल पटवार हल्का नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 100, 102, 98, 99 कुल किता 04 कुल रकबा 1.96 हैक्ट0 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.) **आदेश** प्रा0 पत्र 315/2024 निर्णय दिनांक 27.06.2024 उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि ... राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम नाथा की नांगल ... नांगल तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 100, ... 98, ... कुल किता 04 कुल रकबा 1.96 हैक्ट0 ... प्रार्थीगण व पड़ौसी ... दिनांक सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि ... का 22.05.2024 पत्थरगढ़ी की जावे। ... कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।	

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 16:49:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner